

कूड़ा

जैविक एवं अजैविक कूड़े को अलग अलग करने से
समस्या का समाधान सम्भव है



जब जब तक पहुंचे पैगाम, स्वच्छ पंचायत हो अपनी पह्चान

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड
सहस्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) दूरभाष : 0135-2607106

प्रश्न— क्या कूड़े से आप परेशान हैं ?

उत्तर— प्रायः हमारे घरों से जनित कूड़ा और उसका निस्तारण एक समस्या बन जाती है विशेषकर जब कोई ऐसी व्यवस्था उपलब्ध न हो, जो समग्र रूप से इसका उपाय न कर दे।

प्रश्न— क्या आप जानते हैं आपके कूड़े का क्या होता है ?



उत्तर— सामान्यतः एक बार कूड़ा घर से निकल जाये तो हम इस बात पर विचार नहीं करते कि इस अपशिष्ट का क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े का इधर उधर फेंक दिया जाता है। अर्थात् हमारा अपशिष्ट ग्रामीण परिवेश को विकृत करता है व पर्यावरण की समस्या बन जाता है।

प्रश्न— कूड़े के क्या होते हैं दुष्परिणाम ?

उत्तर— कूड़े के ढेर जहाँ ‘दृष्ट्या प्रदूषण’ उत्पन्न करते हैं वहीं मक्खी, मच्छर व अन्य कीटों के लिये आदर्श परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे बीमारियों के फैलने का भय रहता है। जिस कूड़े को हम छोड़ आये थे वही हम तक वापस बीमारियों के रूप में आता है, हम ही इस स्थिति के लिये जिम्मेदार हैं।

प्रश्न— क्या कूड़े के ढेरों में आग लगा देनी चाहिए ?

उत्तर— कूड़ा तापमान व नमी में गलता सड़ता है व मीथेन जैसी गैस का भी उत्सर्जन करता है, यह एक ज्वलनशील गैस है इसके साथ ही सूखा कूड़ा जिसमें कागज व प्लास्टिक होता है जलाने पर जहरीली गैस उत्पन्न करता है जो वायु प्रदूषण करती है व श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ फैलाती हैं। हम एक समस्या जिसे नियंत्रित कर सकते हैं जलाने पर अनियंत्रित कर देते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है।

प्रश्न— क्या कूड़े के ढेर पशुओं पर प्रतिकूल असर डालते हैं ?



उत्तर— हमारे द्वारा निस्तारित अपशिष्टों में खाद्य पदार्थ भी होते हैं आवारा पशु जैसे गायें, सुअर व कुत्ते इन ढेरों को उल्टा पलटा कर के कीड़ों को फैलाते हैं और उसमें से भोज्य पदार्थ को खाते हैं। कुछ क्षेत्रों में जंगली जानवर भी अपशिष्टों के ढेर में भोज्य पदार्थ ढूँढते हैं, इससे जैव विविधता पर भी असर पड़ता है।

कूड़ा क्या है ?

मनुष्य जीवन के प्रमुख आयामों में से स्वच्छता भी एक प्रमुख आयाम है। स्वच्छता हमारे जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूती है। जहां हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में स्वच्छता को प्रमुख माना जाता है वहीं व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता हमारे समाज की अन्य आवश्यकताओं जैसे आत्म-गौरव, बीमारियों से बचाने, वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों की सुविधाओं से भी जुड़ी है। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायतों को एक स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करना होगा। एक ऐसी पहल करनी होगी जिसमें आम नागरिक हिस्सा लेकर स्वच्छता एवं कूड़ा निपटारण में अपनी भूमिका एवं जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकें। इसी क्रम में जैविक एवं अजैविक कूड़े से सम्बन्धित जानकारियां संकलित की गयी हैं।



कूड़े को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है :

- ‘सामान्यतः ऐसी वस्तुएँ जिन्हें उपयोग उपरान्त फेंक दिया जाता है कूड़ा कहलाती है’
- ‘ऐसी वस्तुएँ जो मानवीय गतिविधि से जुड़ी होती हैं व सामान्य रूप से पुनर्चक्रित नहीं की जा सकती हैं जैसा प्रकृति के चक्र में होता है जहाँ समस्त अपशिष्ट स्वतः ही पुनर्चक्रित हो जाते हैं कूड़ा कहलाता है’
- ‘कूड़ा यानी ठोस अपशिष्ट ऐसा उत्पाद है जो व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक स्वामित्व खोने से उत्पादित होता है’

यह उपरोक्त परिभाषायें कूड़े को परिभाषित करने के साथ ही मानवीय आदत को भी परिलक्षित करती है जिसमें कूड़ा मानवीय त्याग के उपरान्त जनित होता है।

कूड़े के प्रकार : कूड़े को निम्नलिखित तालिका के अनुसार विभाजित किया जा सकता है :-

जैविक/गीला कूड़ा एवं खाद बनाने योग्य	अजैविक/ सूखा कूड़ा	
	पुनर्चक्रणीय	गैर पुनर्चक्रणीय
रसोई का अपशिष्ट	प्लास्टिक-थैलियां	बहु स्तरीय पैकिंग
भोजन	दूध की थैलियां	टेट्रापैक्स
गोबर	सूई, आई०वी० सेट्स	कार्बन पेपर
खेती का अपशिष्ट	बोतल	शैशे
पत्तियाँ	शैम्पू	पाऊच
अण्डे के छिलके	काँच	आधुनिक बहुस्तरीय पैकिंग
सड़ी हुई सब्जियाँ	कॉपी/किताब	
छिलके, मीट, हड्डियाँ	तारें	
मृत पशु	ढक्कन	
कागज	टीन के कैन	
लकड़ी के टुकडे	धातु	
राख		

जब होगी हर डगर, हर गली साफ, तो ही पूरी होगी स्वच्छ पंचायत की आस

ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण:

ठोस अपशिष्ट

खाद में अपघटित अपशिष्ट

- सब्जियों का अपशिष्ट
- रसोई का अपशिष्ट
- गार्डन अपशिष्ट
- खेती का अपशिष्ट
- गोबर अपशिष्ट



जैविक कूड़ा

अजैविक/खाद के लिये अयोग्य

- प्लास्टिक
- कागज
- कपड़ा
- काँच
- धातु



अजैविक कूड़ा

कैसे करें अपशिष्ट (कूड़ा) प्रबन्धन ?

रसोई में ही पृथक करें : अपशिष्ट यानी कूड़े को सोत पर ही अलग-अलग रखें, यह याद रखें कि इस कदम से कूड़ा संसाधन बन जाता है अर्थात् दोनों तरह के अपशिष्ट आसानी से निस्तारित किये जा सकते हैं। गीले कूड़े को एक डिब्बे में डाल कर खाद बनायी जा सकती है, वहीं साफ सूखा कूड़ा बिनने वालों के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जा सकता है।



स्वच्छ भारत का जन अभियान, जाग रहा है हिन्दुस्तान। गली मोहल्ला और मकान, जन-जन तक पहुँचे वो पैग़ाज़।

गीले कूड़े का क्या करें ?

सब्जियों व फलों के छिलकों को एक डिब्बे, जिसमें चारों तरफ छेद हो उसमें डाल दें, सूक्ष्म जीवी घोल या गोबर के घोल से उपचारित करें। प्रत्येक सतह पर हल्की मिट्टी डाल दें। यह कूड़ा ऐरोबिक कम्पोस्टिकरण से खाद बन जाएगा। यदि चीटियाँ आ जायें तो थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें। ऐसा करने से आप संसाधनों का उपयोग तो करते ही हैं, साथ-साथ कूड़े की समस्या का भी समाधान करते हैं।

यदि ऐसा करने में आपको परेशानी है तो 3 या 4 भू-स्वामी मिलकर एक सामुदायिक कम्पोस्टिकरण ईकाई बना सकते हैं, इस विधि को नाडेप कम्पोस्टिकरण कहते हैं।

यह गड्ढा जमीन से ऊपर बनाया जाता है, इसका फर्श पक्का बनाया जाता है, फर्श में अन्दर की तरफ से मिट्टी की सतह बनायी जाती है, इस के बाद इसमें अपशिष्ट भरा जा सकता है, गड्ढा पूरा भरने पर ऊपर से मिट्टी का लेप किया जाता है। एक दो दिन में यही अन्दर की ओर बैठ जाता है, अब फिर इसमें अपशिष्ट भरा जा सकता है। प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत रूप से कम्पोस्ट पिट का निर्माण करना आवश्यक होगा, आवश्यकता पड़ने पर 3 या 4 परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से भी कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जा सकता है। कम्पोस्ट पिट के लिए 4 फीट x 4 फीट x 4 फीट का गड्ढा उपयुक्त रहेगा, इस गड्ढे के ऊपर कच्ची छत या टिन की छत लगाना आवश्यक होता है।



इस चक्रिय सिद्धांत से कूड़े द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता है व अपशिष्ट में विद्यमान आवश्यक तत्व धरती में पुनर्चक्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से संसाधन का सम्बर्द्धन भी होता है।

स्वच्छ पंचायत का सपना, स्वच्छ वातावरण हो अपना

अजैविक कूड़े का क्या करें ?

सूखा यानी अजैविक कूड़े में कागज, प्लास्टिक, काँच व धातु विद्यमान होते हैं, इन सबका जीवन चक्र अलग अलग होता है इसके फलस्वरूप इन सब घटकों को अलग-अलग करना पड़ता है। आपने देखा होगा की कूड़ा बीनने वाले सूखे कूड़े को अलग-अलग करके अपनी आजीविका जुटाते हैं। अपने गांव में एक सूखा/जैविक कूड़ा संग्रहण केन्द्र जैसा चित्र में दर्शाया गया है, का निर्माण करें।

क्या होता है पुनर्चक्रण ?

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट को कच्चे माल की तरह उपयोग में लाया जाता है व नये उत्पाद बनाये जाते हैं, अखबार की रद्दी से गत्ता बन जाता है, वहीं कॉपी की रद्दी से सफेद कागज बन जाता है। दैनिक उपयोग में प्लास्टिक के सात घटक होते हैं जिन्हें अलग-अलग करना पड़ता है इसके उपरान्त इनसे नयी वस्तुएं निर्मित होती हैं, काँच व धातु को बार बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है।

कागज का पुनर्चक्रण :- कागज के पुनर्चक्रण से वृक्षों का संरक्षण होता है, वहीं दूसरी ओर नये कागज बनाने में उपयुक्त पानी की भी बचत होती है इसलिए कागज का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

प्लास्टिक की थैलियों का पुनर्चक्रण :- प्लास्टिक की थैलियाँ एक बड़ी समस्या के रूप में देखी जाती हैं इसका मुख्य कारण यह कि इनकी आसानी से उपलब्धता है वहीं दूसरी ओर इनका निर्माण मानकों के आधार पर नहीं हो रहा है। हमारी आदतें भी ठीक नहीं हैं और इन थैलियों को घर से निकलने वाले कूड़े को फेकने में इस्तेमाल होता है अर्थात हम एक कैरी बैग को डिस्पोजल बैग में परिवर्तित कर देते हैं। यदि इनको पृथक कर के रखा जाये तो इन्हें सरलता से पुनर्चक्रित किया जा सकता है इन थैलियों से एच०डी०पी०ई० पाईप का निर्माण होता है।

प्लास्टिक के अन्य घटकों को भी पुनर्चक्रित कर नयी वस्तुएं बनायी जाती है, कूड़ा बीनने वाले ऐसे अपशिष्टों का पुनर्चक्रण स्वतः ही करते हैं। गन्दी थैलियों में मूल्य संवर्धन नहीं होता है जिसके फलस्वरूप इनका एकत्रीकरण नहीं होता है। यह भी विचारणीय है कि अच्छी गुणवत्ता के बैग कूड़े की धारा में निस्तारित नहीं किये जाते हैं, थैलियों का पुनर्चक्रण व जीवन चक्र उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है।



धातुओं का पुर्नचक्रण :

लोहा, टिन व एल्युमिनियम के डिब्बों का पुर्नचक्रण एक सामान्य गतिविधि है। अपने स्वभाव के अनुसार हम इन अपशिष्टों को कूड़े के साथ निस्तारित नहीं करते हैं व कबाड़ियों को विक्रय करते हैं। इस मूल्य संवर्धित अपशिष्ट को हमेशा से ही संसाधन समझा जाता है।

काँच का पुर्नचक्रण : काँच की बोतलों को सामान्यतः कबाड़ियों को विक्रय कर दिया जाता है। टूटे हुए काँच को कूड़ा बीनने वालों द्वारा एकत्रित किया जाता है व पुनर्चक्रण के लिये भेजा जाता है। यह भी एक बहुमूल्य संसाधन है।

पुर्नचक्रण से लाभ :-

- इससे कूड़े की मात्रा में कमी आती है।
- मात्र 50 प्रतिशत ऊर्जा के खर्च से नई वस्तुएं बन जाती है।
- प्रदूषण में कमी आती है।
- ताजे कच्चे माल की कम जरूरत पड़ती है।
- रोजगार सुजित होते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों पर कम दबाव पड़ता है।



क्या करें सैनेटरी नैपकिन्स व डायपर्स का ?

ऐसे अपशिष्ट को पाऊच में पैक करके व अखबार में लपेट कर अलग से निस्तारित करना चाहिए। यह स्मरण रहे सब स्थानों पर भस्मीकरण उपकरण की सुविधा नहीं होती है।

गाँव में कूड़े प्रबंधन को कैसे व्यवस्थित करें ?

ग्रामीण स्तर पर एक समूह बनाकर कूड़े को व्यवस्थित किया जा सकता है।

सर्वप्रथम कूड़े को अलग अलग रखने की आदत डालें। खाद बनाने के लिये निजी स्तर पर झूम का उपयोग करके गीले कूड़े को निपटायें। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा द्वारा चिन्हित भूमि पर सामुदायिक पिट्स बनाकर कूड़े का निपटान करें। कूड़े के एकत्रिकरण के लिये उपयोग शुल्क का भुगतान करें जिससे कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके।

दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कूड़े का एक चक्र बनाकर व्यवस्थित करें। गीले कूड़े को जहाँ तक सम्भव हो अपने घर स्तर पर निस्तारित करें, सूखे कूड़े को एक केन्द्रिय स्थल पर एकत्रित करें व इसको कूड़ा बीनने वालों को विक्रय करें। इस अपशिष्ट को आय का साधन बनाये। खाद को अपने गमलों में प्रयोग करें। विकेन्द्रित व्यवस्था से अपशिष्ट प्रबन्धन सरलता से किया जा सकता है।

आप सब मिल कर कूड़ा प्रबन्धन कर सकते हैं !

आज से ही शुरू करें !

अपने परिवेश को स्वच्छ बनायें व पर्यावरण सम्बद्धन करें !

उन सबको बधाई है, जिनके घर एवं गाँव में सफाई है।



क्या कहते हैं ?

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2016

व

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2016
(पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 29 में जारी)

- कूड़े को सोत पर ही अलग—अलग करे।
- कूड़े का यथासम्भव पुर्नचक्रण करें।
- कूड़े को संसाधन के रूप में देखें।
- कूड़े को न कभी जलायें न कभी भूमि में दबायें।
- कूड़ा प्रबंधन भूमि के ऊपर करें न कि भूमि के नीचे।
- प्लास्टिक एक बहुलक है व इस का निस्तारण पुर्नचक्रण से ही करें।
- प्लास्टिक के ढेर में कभी भी आग न लगायें।
- प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषण होता है।
- प्लास्टिक की थैली जो 50 माइक्रोन यानी, 0.5 मिमी से कम हो प्रयोग न करें।
- प्लास्टिक थैलियों को कूड़ा निस्तारण के लिये प्रयोग न करें।
- कूड़े को इधर उधर फैलाना प्रतिबन्धित है। कानूनी रूप से यह एक दण्डनीय अपराध है।



स्वच्छता का जीवन से नाता है, तभी स्वच्छ चित में विचार आता है।